न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा संख्या :– 07/2012 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2012/00012

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
किशना वगैरह		साजनराम वगैरह

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।

–: निर्णय प्रार्थना–पत्र :–

दिनांक :–16.05.2025

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 जो अलग–अलग खातेदारी खेतों के पृथक खातेदारान् है, ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रास्ता के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी की कब्जासुदा भू–अभिधृति खसरा संख्या 1372 मौजा अरणाय में रास्ता दिलाने का संयुक्त मांग की है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 स्वयं के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1372 मौजा अरणाय में आवागमन का रास्ता अवरूद्व है जिसके संबंध में एक राजस्व वाद व टी आई प्रार्थना–पत्र संख्या 06/2012 पूर्ण संस्थित होकर अन्वीक्षा में लंबित है, जिसमें कई बार न्यायालय के आदेश से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के खेत खसरा संख्या 1372 में आवागमन का रास्ता जरिये पुलिस इमदाद खुलवाया गया, जो बार–बार अवरूद्व कर दिया गया है तथा वर्तमान आवेदन–पत्र इसी विवाद की कड़ी व बदनियतीपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। सभी प्रार्थीगण अलग–अलग खातेदारी खेतों के खातेदारान है जो आपस में सहखातेदार नहीं है अलग अलग खेतों के खातेदार के साथ प्रार्थीगण अलग अलग जातियों के पृथक खातेदारान् जो संयुक्त रूप से एक जनप्रतिनिधिक प्रार्थना–पत्र के रूप में रास्ता की सार्वजनिक मांग कर रहे है, जबकि धारा 251 ए सार्वजनिक रास्तों के मामले लागु नहीं होती है। इस धारा के अधीन सार्वजनिक रास्ता का अनुतोष प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। उक्त धारा केवल निजी रास्तों के अनुतोष के संबंध में ही लागु हो सकती है। राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाये बिना राज्य के किसी लोक अधिकारी के विरूद्व कोई वाद नही चल सकता है, यहां प्रार्थीगण ने धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना धारा 80(2) में अवधि माफ करवाये बिना तथा राजस्थान राज्य को पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

बनाये बिना आवश्यक पक्षकार के रूप में तहसीलदार सांचौर को पार्टी बनाया है जो प्रार्थना पत्र विधि वर्जित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना– पत्र उपरोक्तानुसार विधि वर्जित होने से खारिज फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 1367 का कथन किया है जबकि प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 1367 में से रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता की भूमि विषयवस्तु का दावा व टी.आई प्रार्थना–पत्र विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपने–अपने हितों व सभी को रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता होने से आवेदन पेश किया है जो धारा 251 ए के तहत विधिवत् प्रारूप में पेश किया है। जिससे सार्वजनिक तथ्य की बात निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेतों में आने–जाने हेतु सुविधाजनक निकटतम रुट व अन्य विकल्प का रास्ता है अथवा नहीं इस संबंध जांच कर निस्तारण किये जाने के प्रावधान है अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का विधि विरूद्व होने व प्रार्थना पत्र 251 'ए' पर प्रावधान लागु नहीं होने से खारिज फरमावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस सुनी और उस पर मनन किया।

राजस्व प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र तथा संगत विधिक प्रावधानों के अध्ययन अवलोकन से हस्तगत प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं निर्णयन निम्नानुसार है :–

1. अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की मुख्य रूप से यह मांग की है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 1376 मौजा अरणाय में आवागमन का रास्ता अवरूद्व है जिसके संबंध में एवं राजस्व वाद व एक प्रार्थना पत्र टी.आई प्रकरण संख्या 06/2012 पूर्व संस्थित होकर अन्वीक्षा में लंबित है।
2. प्रार्थीगण अलग अलग खातेदारी खेतों के खातेदार है, सहखातेदार नहीं है जो संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से रास्ता की मांग कर रहे है जो धारा 251 'ए' के मामलें में लागु नही होती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादपत्र उसी दशा में नामंजुर किया जा सकता है जब वादपत्र के कथन मात्र से यह प्रतीत हो कि वाद/प्रार्थना पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित हो। हस्तगत राजस्व प्रकरण वादपत्र नहीं होकर केवल मात्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन मात्र है जिसे संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा निर्णित किया जाना होता है। नवीन रास्ते की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करवा मौके की आत्यांतिकता पर निर्भर करता है तथा इसी विषयवस्तु को लेकर कोई प्रकरण इसी न्यायालय में विचाराधीन है तो किस स्तर पर लंबित है जिसके खसरा संख्या क्या है, तथा जिसमे किस–किस खातेदार को पक्षकार संयोजित किया गया है। उक्त प्रकरण की अधतन स्थिति क्या है विद्वान

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में अधतन प्रमाणित पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जावे कि हस्तगत प्रकरण एवं प्रकरण संख्या 06/2012 की विषयवस्तु समान हो। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण अलग अलग खेतों के खातेदार है। सहखातेदार नहीं है जो संयुक्त रूप से सार्वजनिक रास्ता की मांग कर रहें है जो धारा 251 'ए' में नहीं आती है। इस संबंध में स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अपने अपने हितो व सभी खातेदारान् को रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता होने से आवेदन पेश किया है जो धारा 251 'ए' के तहत विधिवत् प्रारूप में पेश किया है। धारा 251 'ए' के तहत कोई भी अभिधारी या सभी अभिधारी रास्ता प्राप्ति हेतु आवेदन पेश करने में स्वतंत्र है। प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र किसी विधि से वर्जित नहीं होने से अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सावित नहीं होने तथा प्रार्थीगण का राजस्व आवेदन मात्र है तथा विचारण हेतु न्यायालय हाजा एकमात्र सक्षम न्यायालय होने के कारण अस्वीकार/खारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
प्रमोद कुमार आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 16.05.25 को सर — ए — इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Scanned with OKEN Scanner